फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

रूकमणी पत्नि नारायणलाल खटीक निवासी कपासन, तहसील कपासन

बनाम

गणेशलाल पिता भैरूलाल चमार निवासी कपासन, तहसील कपासन

प्रकरण संख्या 38/2020 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पूर्व पेशी दिनांक 26.03.2025 को प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश रिजर्व की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलांट ने जिस नामान्तरण के विरूद्ध यह अपील पेश की है वह तथ्यों को छिपाकर पेश की है क्योंकि विवादित नामान्तरण संख्या 3806 दिनांक 06.11.2020 अधीनस्थ तहसीलदार कपासन द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कपासन के न्यायालय के प्रकरण संख्या 27/07 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2008 की पालना में खोला है अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष उपखण्ड अधिकारी कपासन के आदेश की पालना करने के अतिरिक्त निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है जबकि अपीलांट रूकमणी ने उपखण्ड अधिकारी, कपासन के निर्णय दिनांक 18.09.2008 के विरूद्ध आज तक सक्षम न्यायालय में अपील पेश नहीं की है और आपके न्यायालय में अपील पेश कर दी जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट इसी प्राथमिक बिन्दु पर खारिज फरमावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन यह रहा कि विवादित आराजीयात पूर्व में काली बाई व उसके पुत्र भैरूलाल के खाते में दर्ज रेकार्ड रही व कालीबाई ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्से	.....लगातार

का अपनी पुत्री दाखीबाई जो अपीलांट की विक्रेता है को वसीयत से अपना उत्तराधिकारी कायम किया जिससे कालीबाई के स्वर्गवास के पश्चात् विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्सा दाखीबाई के नाम दर्ज किया तथा अपीलांट ने खातेदार दाखी से मौजा कपासन की आराजी नम्बर 731 रकबा 0.62 हैक्टेयर में उसके 1/2 हिस्सा में से 0.20 हैक्टेयर भूमि जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 16.11.2006 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से अपीलांट खरीदशुदा आराजीयात का उपयोग–उपभोग करती आ रही है विवादित आराजीयात के संबंध में नियमित वाद संख्या 75/1995 उपखण्ड अधिकारी कपासन के न्यायालय में विचाराधीन होते हुए रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण की अलग से अपील पेश कर दी जिस पर उपखण्ड अधिकारी कपासन ने अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1314 के आदेश को वादपत्र प्रकरण संख्या 75/1995 के निस्तारण तक नामान्तरण की कार्यवाही को स्थगित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण के आदेश के बाहर जाकर अपीलांट का नाम हटाये जाने व नवीन प्रविष्टि में मु. दाखी का नाम दर्ज किये जाने का यह विवादित नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो अवैधानिक होने से न्यायालय आप के क्षेत्राधिकार का होने से निरस्त योग्य है। अतः नामान्तरण निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन से प्राप्त विवादित नामान्तरण से संबंधित पत्रावली का अवलोकन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन ने उपखण्ड अधिकारी, कपासन के न्यायालय के प्रकरण संख्या 27/2007 अपील में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2008 की पालना में यह विवादित नामान्तरण स्वीकृत किया है तथा उभय पक्ष ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है एवं निर्विवादित है कि उभय पक्षकारान के मध्य विवादित कृषि आराजीयात को लेकर नियमित वाद संख्या 75/1995 विचाराधीन है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 29/1995 निर्णय दिनांक 30.05.1995 से मु. दाखी को उक्त विवादित आराजीयात के हस्तान्तरण से रोक रखा है। चूंकि अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन द्वारा विवादित नामान्तरण संख्या 3806 दिनांक 06.11.2020 उपखण्ड अधिकारी, कपासन के न्यायालय के प्रकरण संख्या 27/07 अपील में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2008 की पालना में स्वीकृत किया है जिससे प्रथम दृष्ट्या पारित नामान्तरण में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा नामान्तरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त प्रक्रिया (Summery Proceeding)

Web Copy - Not Official

.....लगातार

एवं सरसरी कार्यवाही (Fiscal Proceeding) है जिसके द्वारा किसी पक्षकार के स्वत्व सम्बन्धी विषय बिन्दु (हक–अधिकारों) का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से इसी प्राथमिक बिन्दु पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़